

कार्यालय— जिला कार्यक्रम अधिकारी, बांदा।

पत्रांक C- 2/38/बा0वि0परि0/आं0सहा-चयन विज्ञप्ति/2025-26

दिनांक 15 नवम्बर, 2025

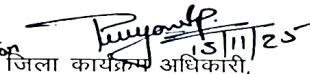
विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद बांदा के ग्रामीण तथा शहरी परिक्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु रीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	सहायिका के रिक्त पदों की संख्या	आंगनवाड़ी सहायिकाओं के कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण			
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
1	महुआ	101	33	0	30	38
2	विसण्डा	70	19	0	24	27
3	नरैनी	85	24	0	26	35
4	बबेरू	30	7	0	12	11
5	तिन्दवारी	40	8	0	11	21
6	जसपुरा	23	5	0	9	9
7	बडोखर खुर्द	43	9	0	13	21
8	कमासिन	33	7	0	7	19
9	शहर	22	5	0	3	14
योग		447	117	0	135	195

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश-

- उक्त पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, जिनकी आयु न्यूनतम 18 तथा अधिकतम 35 वर्ष होगी। आयु की गणना 01 जुलाई 2025 से की जायेगी।
- आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट तथा अधिकतम परारनातक होगी, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।
- आवेदिका को उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) का निवास, आय एवं जाति प्रमाण का होना आवश्यक होगा, जो तहसील स्तर से डिजिटली हस्ताक्षर से निर्गत हो, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
- आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। गरीबी रेखा के आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे।
- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- चयन की कार्यवाही हेतु वरीयता क्रम में सर्व प्रथम गरीबी रेखा से नीचे विधवा, द्वितीय गरीबी रेखा से नीचे विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता तथा तृतीय गरीबी रेखा के नीचे अन्य महिला अभ्यर्थी। उपरोक्त के उपलब्ध न होने पर गरीबी रेखा से ऊपर विधवा, द्वितीय गरीबी रेखा से ऊपर विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता तथा तृतीय गरीबी रेखा के नीचे अन्य महिला अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
- आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन त्रुटिरहित आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा। ऑफलाइन/डाक द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- आवेदिका द्वारा स्वहस्ताक्षरित समस्त प्रमाण पत्र जो स्पष्ट तथा पठनीय हो अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख अभ्यर्थिनी द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 11.12.2025 को मध्य रात्रि तक होगी।
- विज्ञप्ति हेतु प्रकाशित रिक्तियों के पदों की संख्या कोई भी विभागीय स्थिति के आधार पर घट/बढ़ या परिवर्तित हो सकती है।
- उपरोक्त रिक्त पदों का परियोजनावार/ग्राम पंचायतवार/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के नोटिस बोर्ड तथा विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर देखी जा सकती है।

for 
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बांदा।

पृष्ठांकन संख्या / तददिनांक।

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ0प्र0 लखनऊ।
- जिलाधिकारी महोदया, बांदा।
- मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष चयन समिति जनपद बांदा।
- समस्त सम्मानित सदस्य चयन समिति, बांदा।
- जिला सूचना अधिकारी, बांदा को इस अनुरोध के साथ कि जनपद में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण तथा अमर उजाला में न्यूनतम दर एवं न्यूनतम स्थान पर आगामी प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित कराते हुए बिल 02 प्रमाणित प्रतियों में भुगतान हेतु उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अपने स्तर से अनुरोध करने का कष्ट करें।
- स्थानीय सम्पादक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण तथा अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित है कि अपने समाचार पत्र में कम स्थान देते हुए न्यूनतम दर में उक्त विज्ञप्ति को प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी बांदा को इस निर्देश के साथ कि रिक्तियों का विवरण विभिन्न कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चरपा कराये।
- कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बांदा।